संख्या-78/2018/12वी0आई0पी0/26-3-2018-06(विविध)/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 मार्च 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद-सिद्धार्थनगर में अतिपिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में एकीकृत विकास योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण का पत्रांक सी-127/स.क./विकास/एकीकृत/विविध-36/2016-17 दिनांक-28.04.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना में जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बढ़नी, बांसी, शोहरतगढ एवं मिठवल के ग्रामों में इन्टरलाकिंग,सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण कार्यो की निम्न विवरणानुसार अंकित परियोजनाओं की कुल लागत रू0-984.60 लाख (रू0 नौ करोड चौरासी लाख साठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि रू0-492.30 लाख (रू0 चार करोड बान्नबे लाख तीस हजार मात्र) पुनविर्नियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद-सिद्धार्थनगर (लाख रू0 में)

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कुल परियोजना की लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	बढ़नी	धनौरा	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण	196.33	98.165
2	बांसी	नगवां	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	198.10	99.05
3	बांसी	सूपा राजा	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	196.50	98.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4	शोहरतगढ़	अठकोनिया	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण	198.08	99.04
5	मिठवल	बाजारडीह के टोला डबरा	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	195.59	97.795
	कुल योग			**984.60**	**492.30**

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था ''प्रोजेक्ट मैनेजर, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन यूनिट-11 फैजाबाद'' से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर तत्काल धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायोगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)- स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त महाप्रबन्धक/जिलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति शासन/निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा महाप्रबन्धक/जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)-स्वीकृत की जा रही धनराशि को प्रश्नगत परियोजनाओं के कार्य आरम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी योजना के अन्तर्गत न हुआ हो और किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत/प्रस्तावित न हो।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य''के नामे डाला जायेगा एवं व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय

रवि शंकर मिश्र

अनुसचिव।

पृ0संख्या-78/2018/12वी0आई0पी0(1)/26-3-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषितः-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग (अनुश्रवण प्रकोष्ठ) उ0प्र0शासन।

3.जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

4.निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

5.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

6.मुख्य कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

7.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

8.वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन निशातगंज लखनऊ।

9.प्रोजेक्ट मैनेजर, ''यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन यूनिट-11 फैजाबाद।

10.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

11.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/अनुश्रवण प्रकोष्ठ बेसिक शिक्षा

12.गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) **वित्तीय वर्ष 2017-2018** **(धनराशि लाख रू0 में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाऐं-0104-सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास(के.60/रा.40-के.+रा.)- 24-वृहत निर्माण कार्य-	12151.16	492.30	492.30	492.30	11658.86
योग	12151.16	492.30	492.30	492.30	11658.86

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य-	3762.73	4255.03	492.30	492.30	4255.03
योग	3762.73	4255.03	492.30	492.30	4255.03

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीषकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- योजना के कियान्वयन किये जाने के कारण ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या-आर0ई0-351 /दस-2018, दि0 05-03-18

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–78/ए0/12/18(1)/26–3–2018–6(विविध)/2018–दिनांक मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग (अनुश्रवण प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
6– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7– वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् शिक्षा भवन, निशातगंज, लखनऊ।
8– जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
9– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
10– बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन/अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा।
11– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।